



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239865  
CG-DL-E-27102022-239865

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2022/कार्तिक 3, 1944

No. 273]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2022/KARTIKA 3, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2022

सं. 33 / 2015–2020

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट 2फ में संशोधन के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 06 / 2015–2020 दिनांक 14.06.2021 को वापस लेना।

फा. सं. 01 / 89 / 180 / 05 / एएम-20 / पीसी-2(क) / पार्ट-1 / ई-26117).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करते हैं:

- सार्वजनिक सूचना सं. 06 / 2015–2020 दिनांक 14.06.2021 को वापस लिया जाता है।
- 'काजू और उसके उत्पादों' को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 की 2) की पहली अनुसूची में शामिल करने के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ. 3515(अ) दिनांक 29.07.2022 के अनुसरण में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के परिशिष्ट 2फ में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं:

क्र.सं.	निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों के नाम	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का ब्यौरा।	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का संशोधित ब्यौरा
4	भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद	काजू गिरी तरल छिल्का युक्त काजू	—

		कार्डानोल	
35	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	1. फल, सब्जी एवं उनके उत्पाद 2. मांस एवं मांस उत्पाद 3. कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 4. डेयरी उत्पाद 5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट एवं बेकरी उत्पाद 6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद 7. कोकोआ और इसके उत्पाद, सभी किस्म के चॉकलेट 8. अल्कोहल और अल्कोहल रहित पेय पदार्थ 9. अनाज और अनाज उत्पाद 10. मूंगफली, पीनट और अखरोट 11. अचार, चटनी और पापड़ 12. ग्वार गम 13. पुष्प कृषि एवं पुष्प कृषि उत्पाद 14. हर्बल और औषधीय पौधे	1. फल, सब्जी एवं उनके उत्पाद 2. मांस एवं मांस उत्पाद 3. कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 4. डेयरी उत्पाद 5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट एवं बेकरी उत्पाद 6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद 7. कोकोआ और इसके उत्पाद, सभी किस्म के चॉकलेट 8. अल्कोहल और अल्कोहल रहित पेय पदार्थ 9. अनाज और अनाज उत्पाद 10. मूंगफली, पीनट और अखरोट 11. अचार, चटनी और पापड़ 12. ग्वार गम 13. पुष्प कृषि एवं पुष्प कृषि उत्पाद 14. हर्बल और औषधीय पौधे <b>15. काजू गिरी</b> <b>16. तरल छिल्लायुक्त काजू</b> <b>17. कार्डानोल</b>

**सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015-2020 दिनांक 14.06.2021 को वापस लिया जाता है। 'काजू और उसके उत्पादों' को एपीडा अधिनियम 1985 (1986 की 2) की पहली अनुसूची में शामिल करने के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 3515(अ) दिनांक 29.07.202 के अनुसरण में एपीडा को तत्काल प्रभाव से काजू गिरी, तरल छिल्लायुक्त काजू और कार्डानोल के लिए आरसीएमसी जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**Public Notice**

New Delhi, the 25th October, 2022

**No. 33/2015-2020**

**Subject: Withdrawal of Public Notice No. 06/2015-2020 dated 14.06.2021 regarding amendment in Appendix 2T of Foreign Trade Policy 2015-2020.**

**F. No. 01/89/180/05/AM-20/PC-2[A]/Part-I/E-26117.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby specifies the procedure to implement the provisions of FT (D&R) Act as follows:

1. The Public Notice No. 6/2015-2020 dated 14.06.2021 is withdrawn.
2. In pursuance of Gazette Notification No. S.O. 3515 (E) dated 29.07.2022 regarding addition of 'cashew nuts and its products' to the First Schedule to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following changes in Appendix – 2T of Foreign Trade Policy, 2015-2020.

Sl. No.	Name of Export Promotion Councils/ Boards	Commodity	Details of products falling with their jurisdiction	Revised details of products falling with their jurisdiction
4	Cashew Export Promotion Council of India		Cashew Kernels Cashewnut Shell Liquid Kardanol	--
35	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)		1. Fruits, Vegetable and their products 2. Meat and meat products 3. Poultry and poultry products 4. Dairy products 5. Confectionary, biscuits and bakery products 6. Honey, jaggery and sugar products 7. Cocoa and its products, chocolates of all kinds 8. Alcoholic and non-alcoholic beverages 9. Cereals and cereals products 10. Groundnuts, peanuts and walnut 11. Pickles, chutneys and papads 12. Guar Gum 13. Floriculture and floriculture products 14. Herbal and medicinal plants	1. Fruits, Vegetable and their products 2. Meat and meat products 3. Poultry and poultry products 4. Dairy products 5. Confectionary, biscuits and bakery products 6. Honey, jaggery and sugar products 7. Cocoa and its products, chocolates of all kinds 8. Alcoholic and non-alcoholic beverages 9. Cereals and cereals products 10. Groundnuts, peanuts and walnut 11. Pickles, chutneys and papads 12. Guar Gum 13. Floriculture and floriculture products 14. Herbal and medicinal plants <b>15. Cashew Kernels</b> <b>16. Cashewnut Shell Liquid</b> <b>17. Kardanol</b>

**Effect of the Public Notice:** DGFT Public Notice No. 6/2015-2020 dated 14.06.2021 is withdrawn. In pursuance of Gazette Notification No. S.O. 3515 (E) dated 29.07.2022 regarding addition of 'cashew nuts and its products' to the First Schedule to the APEDA Act, 1985 (2 of 1986), APEDA is designated as the agency authorized to issue RCMCs for Cashew Kernels, Cashewnut Shell Liquid and Kardanol, with immediate effect.

This issues with the approval of the Competent Authority.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.